न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारी: संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 28/2020

दायर दिनांक: 11.08.2020

निर्णय दिनांक: 17.06.2022

उनवान

जयसिंह पुत्र कालूराम जाति पूर्विया राजपूत निवासी ग्राम खैरवाल तह0 व जिला दौसा।
प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम–1956 बाबत नाम दुरूस्ती

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी जयसिंह पुत्र कालूराम ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राज0 भू–राजस्व अधि0–1956 बाबत नाम दुरूस्ती पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खैरवाल तहसील दौसा में आराजी ख0 नं0 1814 रकबा 0.49 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है व भूमि ख0 नं0 1639 रकबा 0.52 है0, 1640 रकबा 1.81 है0, 1641 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 रकबा 2.50 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त आराजीयात का हिस्सेदार एवं खातेदार काबिज काश्तकार है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम कालूराम है, जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सहवन से कल्याण दर्ज करवा दिया गया। प्रार्थी के सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बैंक पासबुक, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में पिता का नाम कालूराम दर्ज है। कल्याण एवं कालूराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण की जगह कालूराम दर्ज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार दौसा से जवाब चाहा गया। पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया है कि ग्राम खैरवाल की जमाबंदी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 350 ख0 नं0 1814 रकबा 0.49 है0 में प्रार्थी जयसिंह पुत्र कल्याण हि0 1/2 दर्ज है तथा खाता संख्या 22 ख0 नं0 1639 रकबा 0.52 है0, 1640 रकबा 1.81 है0, 1641 रकबा 0.17 है0 [illegible] हि0 1/4 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा [illegible] सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृति आदेश व बैंक पासबुक, आधार [illegible] पहचान पत्र, [illegible] राशन कार्ड में जयसिंह के पिता का नाम कालूराम ही दर्ज है। [illegible] कारी की [illegible] पाया कि प्रार्थी जयसिंह के पिता का वास्तविक नाम का[illegible] ही है। अतः प्रार्थी [illegible] नाम कल्याण की जगह कालूराम किया जाना उचित होगा।

लगातार....2....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (रा॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:39:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सं0 28 / 2020
जयसिंह बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक: 17.06.2022

(2)

प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के फॉलोअप कैम्प गिरदावर मुख्यालय नांगल बैरसी पर दिनांक 17.06.2022 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। कैम्प में प्रार्थी जयसिंह ने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के पिता नाम कल्याण की जगह कालूराम करने का अनुरोध किया है साथ ही सह–खातेदार जगदीश प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल, कृष्णसिंह पुत्र सूरज, रघुवीर पुत्र श्रीया, हरिमोहन पुत्र श्रीया, गुडडी देवी पत्नि सूरज ने भी शपथ–पत्र प्रस्तुत किये, जिनमें कथन किया गया है कि कल्याण का वास्तविक नाम कालूराम ही है। यदि राजस्व रिकार्ड में कल्याण की जगह कालूराम किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने पिता का नाम कल्याण की जगह कालूराम शुद्ध करवाना चाहता है, जिसे तहसीलदार दौसा ने अपनी रिपोर्ट में उचित माना है। अतः तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट, सह–खातेदारों द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है कि ग्राम खैरवाल के ख0 नं0 1814, 1639, 1640, 1641 से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी जयसिंह के पिता का नाम कल्याण की जगह कालूराम दर्ज किया जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो।

प्रार्थी के पिता के नाम में की गई उक्त शुद्धि से प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 22 में अपने हिस्से की आराजी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नांगल बैरसी से लिए गये ऋण की वसूली के संबंध में बैंक के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:39:13 IST
Reason: SelfAttested